

क्रमांक: एफ-3(ख)/आर-677/88/अलेसे-आ / 448

दिनांक-28-05-18

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.07.2017 द्वारा श्री राम सिंह तंवर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय कोषाधिकारी (पेंशन) जयपुर से सचिव, कार्मिक (क-1) कार्मिक-ग विभाग, सचिवालय, जयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री तंवर आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री राम सिंह तंवर को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से दिनांक 28/5/18 मध्याह्न पश्चात् एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री तंवर नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in / दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री राम सिंह तंवर को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात् जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।

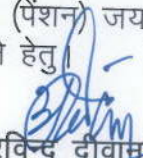

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/आर-677/88/अलेसे-आ / 448

दिनांक-28-05-18

प्रतिलिपि:-

1. कोषाधिकारी (पेंशन) जयपुर।
2. सचिव, कार्मिक (क-1) कार्मिक-ग विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. श्री राम सिंह तंवर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ कार्यालय कोषाधिकारी (पेंशन) जयपुर।
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी), कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-आ)